प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार संख्या 598–600 वर्ष 2013

अजय उर्फ अज्जू इत्यादि ... अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रत्यर्थी

के साथ

दाण्डिक अपील संख्या 337 वर्ष 2014

और साथ में

दाण्डिक अपील संख्या 745–748 वर्ष 2015

नि र्ण य

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

ये आपराधिक अपील संख्यायें 598–600/2013 आरोपी क्रमशः अजय उर्फ अज्जू, ब्रज पाल और रवि द्वारा दायर की गई हैं।जैसा कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया, अजय उर्फ अज्जू की तब से मृत्यु हो गई है। तदनुसार दाण्डिक अपील संख्या 598/2013 समाप्त हो गई है। अभियुक्त मुकेश द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 337/2014 दायर की गई है।

2. उपरोक्त अपीलें उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 22.02.2012 दिनांकित की सत्यता पर सवाल उठाती हैं, जिसके तहत विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दंड संहिता की धारा 302/149 और अन्य संबद्ध अपराधों, आईपीसी[1] और शस्त्र अधिनियम, 1959 दोनों के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, की पुष्टि की गई है। हालांकि, विचारण न्यायालय द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा को सभी आरोपियों के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। शेष सजा बरकरार रखी गई है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आपराधिक अपील संख्या 745–748/2015 को सभी चार प्रत्यर्थियों की सजा बढ़ाने और उन्हें मौत की सजा देने के लिए उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सामान्य निर्णय के विरूद्ध दायर की गई है।

4. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 25.08.2007 को प्रातः लगभग 4.30 बजे ब्रज पाल सिंह (अभियुक्तों में से एक) ने मुरादनगर, जिला गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि प्रातः लगभग 3.00 बजे उसने अपने भाई विजय पाल सिंह की बेटी रश्मि की चीखने–चिल्लाने की आवाज सुनी इसके बाद वह अन्य ग्रामीणों के साथ पड़ोस में अपने भाई के घर पहुंचे तो देखा कि उनके भाई विजय पाल सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती राजेश अपनी चारपाई पर जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी गर्दन तेज धार वाले हथियार से कटी हुई थी, जब वह ऊपरी मंजिल पर गया तो उसने देखा कि विजय पाल सिंह का बेटा निशांत और विजय पाल सिंह का दामाद मंगल सिंह भी अपनी चारपाई पर मृत पड़े थे और उनकी गर्दन भी कटी हुई थी। विजय पाल सिंह की बेटी श्रीमती पिंकी भी घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ भर्ती कराया गया, जबकि चार मृत व्यक्तियों के शव उस स्थान पर पड़े थे जहाँ अपराध किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई।

5. जाँच अधिकारी ने मृतक विजय पाल सिंह की दो बेटियों, रश्मि और श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) के बयान दर्ज किए। श्रीमती पिंकी और रश्मि के अनुसार

---

1 आईपीसी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

घटनाओं का एक बहुत ही चौंकाने वाला क्रम सामने आया। श्रीमती पिंकी के अनुसार, उनके पिता की अपने भाई ब्रज पाल और दूसरे भाई इंद्र पाल के बेटे के साथ दुश्मनी थी; इसके अलावा, शराब पीने को लेकर उनके पड़ोसी मुकेश के साथ दुश्मनी थी। उसने आगे कहा कि वह जमीन पर अपने माता–पिता के साथ सो रही थी।उनकी बहन रश्मि, बहनोई मंगल सिंह, भाई निशांत घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। लगभग 3.00 बजे, कुछ शोर होने के कारण उसकी नींद खुल गई और उसने केवल यह देखा कि उसका पड़ोसी मुकेश पुत्र टुंगल सिंह, ब्रज पाल सिंह, रवि, अजय उर्फ अज्जू उसके माता–पिता पर तलवार और गंडासे से हमला कर रहे थे..... मुकेश ने उस पर तलवार से हमला किया।उसने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन फिर वह नीचे गिर गई और चुपचाप लेटी रही। उसने यह भी बताया कि मुकेश कह रहा था कि 'अबरार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी जिन्दा न बचने पाये। उन सभी को मार डाला और फिर वह ऊपर चला गया। वह डर और सदमे की स्थिति में अपनी माँ के पास लेटी रही।वे यह सोचकर चले गए कि वह भी मर चुकी है। वे किसी प्रमोद का नाम भी ले रहे थे। अबरार और प्रमोद दोनों नूरपुर गाँव के हैं, जो कि मुकेश का ससुराल है। वे नियमित रूप से मुकेश के पास आते थे और उसने उन्हें पहले भी देखा था। जब ये हमलावर हमला करने के बाद चले गए, तो उसकी बहन रश्मि ऊपर से नीचे आई और देखा कि उसके माता–पिता, भाई और पति की हत्या कर दी गई है। दोनों बहनें चिल्लाते हुए बाहर निकलीं और कुछ देर बाद ब्रजपाल और मुकेश अन्य लोगों के साथ आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। वे अंदर आए और घटना की पूरी जगह देखी और श्रीमती पिंकी से पूछा कि क्या उन्होंने हमलावरों को पहचान लिया है। डर के कारण रश्मि और श्रीमती पिंकी दोनों ने किसी को भी देखने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुकेश ने अजय उर्फ अज्जू की गाड़ी मँगवाई और वे उन्हें अस्पताल ले आए। वे रास्ते में उससे यह भी पूछ रहे थे कि क्या

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उसने किसी को पहचाना है, जिससे उसने इनकार कर दिया था। उसने विवेचना अधिकारी से यह भी अनुरोध किया कि उन दोनों ने सही घटनाक्रम बताया है लेकिन कृपया वहाँ स्वयं को रख कर देखें क्योंकि उसकी और उसकी बहन की जान को भी खतरा है। पूरे कथानक को सुनाने के बाद श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) बेहोश हो गईं। मृतक की दूसरी बेटी रश्मि ने भी विवेचना अधिकारी को इसी तरह का बयान दिया है, हालांकि विचारण के दौरान उससे पूछताछ नहीं की गई थी। उक्त बयान दर्ज करने के बाद, विवेचना अधिकारी ने सभी औपचारिकताएं पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, नक्शा नजरी तैयार की और मौके से आवश्यक बरामदगी की।

6. श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) को सर्वोदय अस्पताल, गाजियाबाद के डॉ. राजीव शर्मा (पीडब्लू2) द्वारा तैयार की गई चोट की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित चोटें आईं, जिन्होंने उसी दिन सुबह 5.25 पर उनकी जांच की थीः

"चोटें

(i) छोटी और अनामिका उंगली (दाहिनी) जड़ से अलग कटी हुई।

(ii) दाहिने हाथ की हथेली पर लाल रंग का 8 सेमी. x 2 सेमी. का फटा हुआ घाव। हथेली से 2 सेमी बाहर।

(iii) दाहिने अग्र–बाहु के सामने की ओर 6 सेमी. x 2 सेमी. का लाल रंग का फटा हुआ घाव, कलाई के जोड़ के 5 सेमी. ऊपर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव।

(iv) चेहरे के बायें कोने से 5 सेमी.x 3 सेमी तक फटा हुआ घाव।

(v) गर्दन की ऊपरी क्रीज के ठीक ऊपर गर्दन पर 5 सेमी.x 1 सेमी का फटा हुआ घाव ।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(vi) तर्जनी और मध्यमा ऊँगली के पीछे की तरफ क्रमशः 2 सेमी. x 1 सेमी. और 2 सेमी. x 0.5 सेमीं का फटा हुआ घाव।

(vii) बायें कान पर लाल रंग का और खून बहता हुआ 3 सेमी. x 1 सेमी. का फटा हुआ घाव।"

उसी दिन गर्दन और जबड़े का एक्सरे भी किया गया और उससे संबंधित रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट डॉ. राजेश्वर यादव (पीडब्ल्यू 3) द्वारा प्रस्तुत की गई।

7. उसी दिन दोपहर में डॉ. के.एन.तिवारी (पीडब्लू4) द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया और चार मृतकों पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें दर्ज की गईं:

"श्रीमती राजेश

मृत्युपूर्व चोटें (प्रदर्श क 3)

(1) गर्दन के निचले हिस्से पर आगे की तरफ और दाहिनी तरफ 8 सेमी. x 4 सेमी., 3 सेमी. गहरी हड्डी में, सुपरैक्टिनल नॉच के ऊपर कटा हुआ घाव और घाव में रक्त वाहिकाओं और श्वासनली सहित गर्दन के नरम ऊतक कटा हुआ।

(2) बायें तरफ गर्दन के निचले हिस्से में 8 सेंटीमीटर कान के नीचे 7 सेमी. x 3 सेमी. का घाव मांसपेशियों में गहरा, नरम ऊतक और मांसपेशियां कटी हुई।

पोस्टमॉर्टम घाव

दाहिने हाथ के पृष्ठीय भाग पर तीन साफ कटे हुए घाव मौजूद हैं जिसकी साइज 8 सेमी. x 5 सेमी., 7 सेमी. x 4 सेमी., 3 सेमी.x 2 सेमी., 2.3 सेमी. अलग–अलग हैं।

विजय पाल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मृत्युपूर्व चोटें (प्रदर्श क–4)

(1) गर्दन के ऊपरी भाग में आगे की तरफ 10 सेमी. x 3 सेमी. के आकार का 8 सेमी का हड्डियों तक कटा हुआ गहरा घाव, कान के लोब्युल लैरियक्स (lobule laryux) के नीचे, घाव में कंठिका (hyoid) की नरम ऊतक और रक्त वाहिकाओं का कटा हुआ घाव।

घाव का पोस्टमॉर्टम

घाव का पोस्टमॉर्टम (1) दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर 7 सेमी x 3 सेमी का साफ कटा हुआ (2) दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर 7 सेमी x 3 सेमी का रगड़न और मुँह के बायें कोने पर 1 सेमी x 1 का साफ कटा हुआ घाव।

मंगल

मृत्युपूर्व चोटें (प्रदर्श क–5)

(1) गर्दन के ऊपरी भाग पर 25 सेमी. x 9 सेमी. का और निचले जबड़े पर आगे की तरफ दाहिनी ओर कटा हुआ घाव, वर्टिब्री घाव रीढ़ (Vertebrae), मेन्डिबल (Mandible), गर्दन की मांसपेशियों के नर्म ऊतक, लैरिक्स (Larix), कंठिका (hyoid) तक है और घाव में रक्त वाहिकाएं कटी हुई।

(2) घाव के ऊपरी भाग में कान के लोब्यूल (lobule) और तिरछा, चेहरे के दाहिनी ओर तिरछा कटा हुआ घाव, ऊपर के होंठ से कान तक 11 सेमी. x 1 सेमी. तक का मांसपेशी तक गहरा घाव।

निशांत

मृत्युपूर्व चोटें (प्रदर्श क–6)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(1) गर्दन के दाहिनी ओर कान के नीचे 6 सेमी. मांसपेशियों तक गहरा 9 से. मी. x 2 सेमी. का तिरछा कटा हुआ घाव।

(2) गर्दन के दाहिनी ओर से मध्यरेखा तक 10 सेमी x 8 सेमी का चोट संख्या 1 के नीचे कटा हुआ घाव, मांसपेशियां, लैरिंक्स (Larynx) (थायराइड उपास्थि और कंठिका) वाहिकाएं कटी हुई।

8. विजय पाल सिंह की दो बेटियों, श्रीमती पिंकी और रश्मि के बयान दर्ज करने के बाद, विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राम बाबू सक्सेना (पीडब्ल्यू 9) ने यह भी नोट किया कि मृतक निशांत का मोबाइल नंबर 9336780542 भी ट्रेस नहीं हो रहा है। बाद में विवेचना अधिकारी ने मुकेश और ब्रज पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश ने अपने इकबालिया बयान के बाद अपने घर से खून से सने कपड़े, खुकरी की बरामदगी भी कराई, जिसे कब्जे में लिया गया, सील कर दी गई और फर्द तैयार की गई।सह–अभियुक्त अबरार की मोटर साइकिल भी बरामद की गई और उसे कब्जे में ले लिया गया। ब्रजपाल सिंह ने अपना इकबालिया बयान देने के बाद अपने घर से खून से सना एक गंडासा भी बरामद कराया जिसे कब्जे में ले लिया गया और सील करके फर्द तैयार की गई। दिनांक 28.08.2007 को, सह–अभियुक्त रवि को गिरफ्तार किया गया और उसके इकबालिया बयान और उसकी निशानदेही पर उसकी माँ की बहन के घर से एक खून से सनी टीशर्ट और एक मोबाइल फोन एलजी रिलायंस नंबर 9336780542 भी बरामद किया गया। उसी को कब्जे में लेकर सील किया गया और फर्द तैयार की गई। अजय उर्फ अज्जू को दिनांक 4.11.2007 को गिरफ्तार किया गया था और उसके इकबालिया बयान दर्ज करने पर, और उसके निशानदेही पर उसके गाँव से एक नहर के पास छिपा हुआ एक चाकू बरामद किया गया था, उक्त चाकू को कब्जे में ले लिया गया और एक फर्द बरामदगी तैयार की गई थी। बरामद वस्तुओं को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9. जाँच पूरी करने के बाद, चारों अभियुक्तों ब्रज पाल सिंह, मुकेश, रवि और अजय उर्फ अज्जू के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। मुकेश और अजय उर्फ अज्जू के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दो अलग–अलग मामले दर्ज किए गए। इन दोनों प्राथमिकी में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। सभी मामलों को एक साथ जोड़ा गया और विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

10. अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का परीक्षण किया। उन सभी ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया। सभी सुसंगत सामग्री और दस्तावेजों को साबित किया गया और प्रदर्श अंकित किया गया।

11. चारों अभियुक्तों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता[2] की धारा 313 के तहत अपने बयान दिए जिसमें उन्होंने अपनी संलिप्तता से इनकार किया और आरोप लगाया कि उन्हें झूठा फंसाया गया था; उन्होंने यह भी कहा कि उनकी निशानदेही पर बरामदगी नहीं की गयी थी; गवाह दुश्मनीवश साक्ष्य दे रहे थे; बचाव में अभियुक्तों ने दो गवाहों का परीक्षण किया। सर्वोदय अस्पताल के एक आवासीय चिकित्सक डॉ. इस्लामूद्दीन का परीक्षण डीडब्लू 1 के रूप में, श्रीमती पिंकी के अस्तपाल में भर्ती होने के संबंध में चिकित्सकीय कागजात प्रदर्श ख–1 से ख–38 को साबित करने के लिए किया गया।अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू की मां, मूल चंद की पत्नी, श्रीमती बेरवती का डीडब्लू 2 के रूप में परीक्षण किया गया।उसने कहा कि उसके बेटे को मुकेश और ब्रज पाल के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया और 20 दिनों के बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

---

2. सीआरपीसी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

12. विचारण न्यायालय अभिलेख पर मौजूद सारवान साक्ष्य की गहन जांच और मूल्यांकन करने के बाद, 24.09.2009 के निर्णय के माध्यम से, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चार मृतकों की हत्या और श्रीमती पिंकी (पीडब्ल्यू 1) की हत्या के प्रयास में, जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, चार अभियुक्तों की दोषसिद्धी को अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक साबित किया था और तदनुसार उन्हें आईपीसी की धारा 302/149 और धारा 307 तथा आईपीसी और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत अन्य संबद्ध अपराधों के तहत उन्हें मौत की सजा और आजीवन कारावास तथा साबित विभिन्न अपराधों के लिए अन्य कम सजाएं सुनाई गईं थीं।

13. अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें की गयीं, जिनकी सुनवाई विचारण न्यायालय द्वारा भेजे गए मृत्यु संदर्भ के साथ की गयी थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ब्रज पाल, अजय उर्फ अज्जू और रवि ने अलग–अलग अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था, जबकि अपीलकर्ता मुकेश को विधिक सहायता से न्याय–मित्र प्रदान किया गया था।उच्च विचारण न्यायालय ने संबंधित दलीलों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, सभी अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि की। हालाँकि सजा के प्रश्न पर, इस मुद्दे पर कानून पर चर्चा करने और विभिन्न अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

14. इससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और न केवल पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख का, बल्कि विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16. अपीलार्थियों की ओर से दिए गए तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार अभिलिखित किया गया है:

(i) यह एक ऐसा मामला है जिसमें एकल चश्मदीद गवाह श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) है, उसकी गवाही मृतक से संबंधित एक गवाह और अपीलार्थियों के साथ दुश्मनी रखने वाले एक गवाह की भी थी और इसलिए वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं होगी और उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था;

(ii) एकल चश्मदीद, पीडब्लू1 की गवाही की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है;

(iii) पहली बार में श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) ने हमलावरों के नामों का खुलासा ग्रामीणों और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने नहीं किया है जो उसके चीखने और चिल्लाने पर इक्ट्ठा हुए थे और न ही उसने उस समय हमलावरों के नामों का खुलासा किया था जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इसलिए यह बाद में सोच–समझकर बनाया गया मामला है।

(iv) यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि सुबह एक कुत्तों के दस्ते को बुलाया गया था, जैसे कि यह अज्ञात हमलावरों का मामला था और चश्मदीद श्रीमती पिंकी ने वास्तव में किसी को नहीं देखा था और यदि उसने किसी को देखा भी हो तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई। यदि हमलावरों के नाम ज्ञात होते तो एक कुत्तों के दस्ते को कार्रवाई में नहीं लगाया जाता; इस तरह यह भी सुधार (सोच समझकर बनाए गए) का सुझाव देता है;

(v) इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सुश्री रश्मि और मृतक विजय पाल सिंह के पिता होराम, आरोपी ब्रज पाल और रवि के दादा का परीक्षण क्यों नहीं किया गया, भले ही वे घटना स्थल पर थे; और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(vi) श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज नहीं किया गया था जो संदेह पैदा करता है।

(vii) अपीलकर्ता रवि की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने एक अतिरिक्त तर्क दिया कि श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान देते समय विवेचक के सामने उनका नाम नहीं लिया। उनके अनुसार, सुनवाई के दौरान पहली बार रवि का नाम सुधार(संशोधन) करके लिया गया है। उनके मुवक्किल को झूंठा फंसाया गया है।

(viii) अपीलार्थी मुकेश की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र ने गवाहों की गवाही में विभिन्न विसंगतियों का उल्लेख किया है।

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य की गहन जांच और मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलकर्ता, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी हैं, ने संपत्ति हासिल करने के लिए एक ही परिवार के चार सदस्यों की बेरहमी से हत्या करके अपनी दुश्मनी का बदला ले लिया और घायल गवाह श्रीमती पिंकी की हत्या करने का भी प्रयास किया गया था, जिस पर हमला किया गया था और उसकी गर्दन पर प्रहार किया गया था और खुद को बचाने के प्रयास में उसने अपने ऊपरी हाथ की कुछ उंगलियां खो दीं। उनके प्रति कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने में गलती की। तदनुसार उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया जाए और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा को बहाल किया जाए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

18. दी गई दलीलों पर उसी क्रम में विचार किया जा रहा है। पीडब्लू 1 एक घायल गवाह है। उसकी चोटों को चुनौती नहीं दी गई है।ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीडब्लू 1 क्यों झूठा फंसाएगी और वास्तविक हमलावरों को मुक्त होने देगी। उसकी गवाही के परिशीलन से पता चलता है कि उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरी तरह से समर्थन किया है जैसा कि उसने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में बताया है। जिरह के दौरान भी, उससे ऐसा कुछ नहीं मिला है जो किसी भी तरह से उसकी गवाही को कमजोर या नष्ट कर सके। वह एक पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह थी और उसने स्वाभाविक रूप से चीजों को बताया है।

19. मृतक विजय पाल सिंह की दो बेटियों ने हमलावरों को अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करते हुए और उनमें से एक श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) को घायल करते हुए देखा है, करीबी रिश्तेदार होने के नाते ठीक ही और बुद्धिमानी से उनकी उपस्थिति में कुछ भी नहीं बोला और उन्हें अंधेरे में रहने दिया कि उसने वास्तव में उन्हें अपराध करते देखा था। पहली बार, जब विवेचक उसका बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल गए, तो वे तुरंत घटनाओं के सही क्रम के साथ सामने आए जैसा कि वे हुईं थीं। अपीलार्थी उपरोक्त दलील से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

20. कुत्तों के दस्ते को काम में लगाना भी पूरी तरह से उचित था क्योंकि उस समय तक जब कुत्तों के दस्ते को सुबह काम में लगाया गया था, तब तक हमलावरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार कुत्तों के दस्ते को काम में लगाया गया था क्योंकि हमलावरों के नाम ज्ञात नहीं थे।यह अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि जिस समय प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जिस समय श्रीमती पिंकी (पीडब्ल्यू1) को अस्पताल में भर्ती कराया गया था,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हमलावरों के नाम जानबूझकर और उचित कारणों से प्रकट नहीं किए गए थे। मृतक विजय पाल सिंह की बेटियों को अपने जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता थी अन्यथा उन्हें भी मार दिया जाता।

21. सुश्री रश्मि और विजय पाल सिंह के पिता होराम के गैर–परीक्षण का भी कोई तात्विक संबंध नहीं है। आरोप साबित करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना सबूत पेश करना अभियोजन पक्ष का विवेकाधिकार है। गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता मायने रखती है। श्रीमती पिंकी (पीडब्लू1) घायल गवाह थीं जिन्हें गंभीर और जानलेवा चोटें आई थीं। हम इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं।

22. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान के गैर–परीक्षण की अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से कोई प्रासंगिकता या संबंध नहीं है। यह विवेचक का काम था कि वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए।यदि वह अपने विवेक में इसे आवश्यक नहीं समझता, तो इसका पीडब्ल्यू 1 की गवाही और विचारण के दौरान दिए गए अन्य सारवान साक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

23. सीआरपीसी की धारा 161 के तहत श्रीमती पिंकी के बयान में उनका नाम नहीं लिए जाने के संबंध में, जहां तक रवि के विद्वान अधिवक्ता के प्रयास का संबंध है, हमारा विचार है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस न्यायालय ने श्रीमती पिंकी के बयान का परिशीलन किया है और पाया है कि उसने हमले के दौरान और अन्यथा भी, दो स्थानों पर रवि का नाम लिया है।

24. अपीलकर्ता मुकेश के विद्वान न्यायमित्र ने साक्ष्य में कई विसंगतियों और असंगतता को दर्शित करने की कोशिश की है।हमें विस्तृत रूप से जाने की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे मामूली हैं और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

25. ऊपर अभिलिखित सभी कारणों से, हम अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। तदनुसार , दाण्डिक अपील संख्या 598–600/2013 और दाण्डिक अपील संख्या 337/2014 खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज किए जाते हैं। जहां तक सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा दायर अपीलों का संबंध है, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए ठोस कारण दिए हैं। तदनुसार दाण्डिक अपील संख्या 745–748/2015 भी खारिज हो जाती है। अपीलार्थी हिरासत में हैं और वे अपनी सजा भुगतेंगे।

26. लंबित प्रार्थना–पत्र, यदि कोई हों, को निस्तारित किया जाता है।

.....

[न्यायमूर्ति बी. आर. गवई]

.....

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ]

नई दिल्ली

15 फरवरी 2023

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"